धौलपुर (राज०)

10/01/25	आज पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अभि-भाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार (मनिया) की ओर से सम्बन्धित पटवारी हल्का सामौर एवं गिरदावर हल्का हिहौली उपस्थित हुये। सरकार की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।		जवाब की प्रति प्राप्त हुई [signature]

[signature]

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट द्वारा अपील में हल्का पटवारी द्वारा आपसी रंजिश प्रेरित प्रारूप में झूठी रिपोर्ट पेश करना तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरैना द्वारा दिनांक 18/11/2024 को अपीलान्ट के विरुद्ध बिना साक्ष्य का अवसर दिये कथित राठौड़ी आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुये नायब तहसीलदार न्यायालय मरैना निर्णय दिनांक 18/11/2024 को अपास्त करते हुये अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय चाहा है।

इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट के पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी होने/विवादित भूमि का सीमाज्ञान सम्बन्धी कार्यवाही की रिपोर्ट एवं जवाब अपील/स्थगन चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 07/01/2025 एवं 09/01/2025 द्वारा रिपोर्ट भेजी गई जिसकी प्रति वकील अपीलान्ट को दी गई।

नायब तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में अतिक्रमी को पिछले सम्वत् 2080 में बेदखल करने एवं उसके पश्चात् भी पुनः सम्वत् 2081 में सरसों बोकर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी मानते हुये सही निर्णय पारित करना बताया है। साथ ही दिनांक 6/11/2024 को राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाईश करना और अतिक्रमियों को उनकी खातेदारी भूमि चिन्हित कर अतिक्रमी को निर्णय से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना जाहिर किया है। साथ में दिनांक 6/11/2024 को सीमांकन व दिनांक 12/3/24 को सम्वत् 2080 में फसल नष्ट करने का मौका पर्चा भी संलग्न किया है।

[signature]

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। जिसमें उभय पक्षकारान द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के विरुद्ध ग्राम मढई तहसील राजाखेडा में खसरा नम्बर 268/242 गै०मु०बीहड़ भूमि में 1.008 हैक्टेयर भूमि पर सरसों की बुवाई करने के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर दिनांक 18/11/2024 को फसल नष्ट करने एवं सिविल कारावास से दंडित किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी पश्चातवर्ती था जिसे सम्वत 2080 में खुर्द बुर्द किया था इसके बावजूद सम्वत 2081 में अतिक्रमी फेरनसिंह द्वारा पुनः फसल सरसों बोकर खसरा नंबर 268/242 पर अतिक्रमण किया है। भूमि गै०मु० बीहड़ होने से अतिक्रमी फेरनसिंह के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना न्याय संगत होगा। जहाँ तक प्रिंटेड प्रारूप में निर्णय लिखे जाने का आरोप है उससे प्रकरण की मैरिट प्रभावित नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 18/11/2024 बहाल रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरैना को पालना हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 10/1/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर